<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>11.11.22</td><td>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। बहस दावा सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.11.2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी</td><td></td></tr>
<tr><td>18.11.22</td><td>पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखा जाकर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नैबल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी</td><td></td></tr>
</table>

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कंचन राठौड़ (आर. ए. एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या 42/2003

...णः –

1. ...रलाल पुत्र श्री बुधाराम,
2. स्व. स्वरूपराम के विधिक वारिसान,
   2/1 श्रीमती सुन्दरदेवी पत्नी स्व. श्री स्वरूपराम,
   2/2 विक्रम पुत्र स्व. श्री स्वरूपराम,
   2/3 निरजन पुत्र स्व. श्री स्वरूपराम,
3. श्री किशोर कुमार पुत्र श्री बुधाराम, जातियान् जाट, निवासीगण बावड़ी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गुमानसिंह पुत्र श्री हीरसिंह,
2. स्व. खमाकंवर पत्नी श्री हीरसिंह के विधिक वारिस,
   2/1 लक्ष्मी पुत्री श्री हीरसिंह पत्नी श्री महेन्द्रसिंह निवासी खारड़ा रणधीर जोधपुर,
   2/2 बलि पुत्री श्री हीरसिंह पत्नी श्री चन्दनसिंह, निवासी कोहिनूर सिनेमा के पीछे, सरदारपुरा, जोधपुर
   2/3 बाबूकंवर पुत्री श्री हीरसिंह पत्नी श्री रामसिंह, निवासी फायर बिग्रेड स्टेशन के सामने नागौरी गेट, जोधपुर
3. इन्द्रसिंह पुत्र श्री हीरसिंह,
4. किशोरसिंह पुत्र श्री मुकनसिंह
5. भगवानसिंह पुत्र श्री मुकनसिंह, सभी जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण बावड़ी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान।
6. ताईद खां पुत्र श्री जबरूदीन
7. समसुदीन पुत्र श्री जबरूदीन,
8. हमीद खां पुत्र श्री जबरूदीन,

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावडी

9. गोबर खां पुत्र श्री बाबूखां नाबालिंग जरिये वली माता हसीना बेवा बाबूखां,
10. फिदाजी बेवा श्री सदरूखां, सभी जातियान् सिलावटा मुसलमान, निवासीगण बावड़ी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान।
11. सरकार जरिये तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता :–

1. श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री विजय प्रकाश ओझा अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक 18.11.2022

वाद वादीगण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ग्राम बावड़ी के स्थायी निवासी है। वादीगण की खातेदारी व भौतिक रूप से कब्जे काश्त की भूमि राजस्व ग्राम बावड़ी के हाईवे सड़क नम्बर 65 के पूर्व–उत्तर दिशा में ग्राम बावड़ी से जोधपुर आने–जाने वाली आम सड़क पर खेत खसरा नम्बर 1588, 1588/2, 1589 रकबा क्रमशः 16.11, 1.18, 7.05 बीघा भूमि आई हुई है। खेत खसरा नम्बर 1588/2 व 1589 से संबन्धित किसी भी प्रकार का विवाद नही है, लेकिन खेत खसरा नम्बर 1588 रकबा 16.11 बीघा भूमि किस्म बारानी द्वितीय में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में हाल ही प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत दस द्वारा विधि विरूद्ध दखलन्दाजी करनी शुरू कर दी है, इसलिए खेत खसरा नम्बर 1588 को उक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि के पड़ौस निम्न प्रकार है:–

उत्तर में :– खेत खसरा नम्बर 1575 प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 का खेत आया हुआ है।

उत्तर–पूर्व में :– खेत खसरा नम्बर 1576 प्रतिवादी संख्या 06 से 10 का खेत आया हुआ है।

दक्षिण में :– खेत खसरा नम्बर 1587/1 रकबा 15 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आई हुई है।

पश्चिम में :– खेत खसरा नम्बर 1589 भूमि वादीगण के खातेदारी का आया हुआ है।

वादीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1588, 1589,1594 के चारों तरफ मौके पर पत्थर के पोल रोप कर चार–चार कंटीले तार आवारा पशुओं व नील गाय आदि जानवारों की रखवाली हेतु फसल की सुरक्षा के लिए तारबन्दी की हुई है। मात्र खेत खसरा नम्बर 1588 के उत्तर दिशा में खेत खसरा नम्बर 1575 की सीमा पर तारबन्दी नही है। उक्त स्थान पर रेत का धोरा बना हुआ है। जिससे वादीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1588 का पानी बाहर नही जावे व

व्यादातर फसलों को होने वाली बिमारी जैसे कातरा वगैरा पड़ौसी खेत से प्रवेश नही करे तथा पड़ौसी खेत के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे। वादीगण शान्त स्वभाव के व्यक्ति है, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4,5 खेत खसरा नम्बर 1575 के खातेदार है, तथा प्रतिवादी संख्या 3 इनके परिवार का सदस्य है, जो वादीगण से जाति विशेष को लेकर घृणा की भावना से वादीगण से ईर्ष्या रंजिश मनमुटाव रखते है, इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 06 से 10 खेत खसरा न. 1576 के खातेदार है, जो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बहकावे में आकर वादी से रंजिश की भावना बनाये हुए है। प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की नियत वादीगण के खातेदारी हक हकूकों को अज्ञात पहचानों की रही है। इसी नियत से प्रतिवादीगण 1 से 10 पिछले करीब 1–1/2 वर्ष (डेढ़ वर्ष) से झूठी मनगड़त बनावटी जिला प्रशासन अधिकारियों को शिकायतें कर रहे है। जिला प्रशासन द्वारा हाल में प्रतिवादीगण की गई शिकायतों को बाद जांच झूठी पायी गयी है। दिनांक 20.07.2003 को प्रतिवादी संख्या 01 से 10 एक राय होकर वादीगण के खेत में आये व वादीगण को मौखिक धमकी इस आशय की दी कि आयन्दा वादीगण के खेत खसरा नम्बर 1588 के उत्तर सीमा से वादीगण के खेत में आवारा पशुओं को डाल कर वादीगण के खेत खसरा नम्बर 1588 के चारों तरफ बनी कंटीले पत्थरों की तारबन्दी को आयन्दा तोड़कर वादीगण की खड़ी बाजरे की फसल को नुकसान पहुचाकर नया रास्ता निकाल देंगे, जबकि प्रार्थीगण को इस प्रकार की विधि विरूद्ध कार्यवाही करने का कतई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण लाठी के बल पर वादीगण के भौतिक कब्जे काश्त की खातेदारी के अधिकारों से वंचित रखने की मंशा बनाकर वादीगण के खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करना शुरू कर दी जिन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाने हेतु यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 के खिलाफ पेश है। वादीगण की प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के विरूद्ध वादकारण सर्व प्रथम उस समय पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 01 से 10 ने वादीगण के विरूद्ध जाति विशेष को लेकर ईर्ष्या की भावना से झूठी शिकायतें जिला प्रशासन के अधिकारियों को की तथा दिनांक 20.07.2003 को भी उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी हकुकों को अज्ञात पहुचाने का प्रयास किया वाद कारण की परिस्थितियों आज भी यथावत बनी हुई है।

अन्त में वादीगण की प्रर्थना पत्र निम्न प्रकार है कि:–

(अ) वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वाद पद संख्या एक में विस्तृत पड़ौसियान के रूप में बताये गये वादीगण के भौतिक रूप से कब्जे काश्त के खातदारी खेत खसरा नम्बर 1588 रकबा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

.6.11 बीघा भूमि के वादीगण के भौतिक रूप से कब्जे काश्त के खातेदारी खेत के अधिकारों में एवं खेत के उपयोग–उपभोग कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। न ही वादीगण के खसरा नम्बर 1588 के किसी भी भाग कार्नर पर अतिक्रमण करें न ही नया रास्ता निकालने की चेष्ठा करें।

वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 10 से वाद खर्चा दिलाया जाने का आदेश फरमावे।

यदि दौराने दावे वादीगण के खातेदारी हक हकूकों पर प्रतिवादीगण विधि विरूद्ध दखलन्दाजी कर वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान पहचाते है, तो वादीगण को प्रतिवादीगण हर्जा–खर्चा दिलवाये जाने का आदेश फरमावे।

दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश औझा उपस्थित हुए और वकालतनामा पेश किया गया। कार सरकार तहसीलदार भोपालगढ वर्तमान तहसीलदार बावड़ी उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ओर से जबाब दावा पेश किया जाकर बताया गया कि वाद पत्र का पद संख्या एक ड़–मरोड़ कर पेश किया होने से अस्वीकार है। वादीगण के पिता बुद्धाराम पटवारी पद पर ात है। वास्तविकता यह है कि राजस्व ग्राम बावड़ी के हाईवे नम्बर 65 के पूर्व उत्तर दिशा में ाम बावड़ी से जोधपुर आने–जाने वाली डामर सड़क पर खेत खसरा नम्बर 1588, 1588/2 एवं 589 वादीगण की खरीदसुदा आयी हुई है। ग्राम बावड़ी के हाईवे नम्बर 65 से एक आम रास्ता दीगण के खेत खसरा नम्बर 1588 के उत्तर पूर्व दिशा से होकर पिढीयों से गुजरता है, जो आगे खसरा नम्बर 1587 में से होकर आगे रजलाई नाडी तक जाता है। जिसको इस क्षेत्र के समस्त निवासीगण एवं खातेदारान् एक सार्वजनिक आम रास्ता के रूप में उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे थे। वादीगण ने उपरोक्त भूमि खरीद करने के पश्चात् करीब 12 माह पश्चात् बदयान्ती एवं बलपूर्वक स्टेट हाईवे नम्बर 65 से होकर खसरा नम्बर 1588 में से होकर गुजरने वाले आम रास्ता को बन्द करने की नियत से खसरा नम्बर 1588 के चारों तरफ तारबन्दी करनी शुरू की तब प्रतिवादीगण एवं ग्रामवासियों ने तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये जिस पर तहसीलदार भोपालगढ ने सम्बन्धित पटवारी हल्का को जांच के निर्देश दिये जिस पर पट वारी हल्का द्वारा दिनांक 05.10.2002 को मौका मुआवना कर मौका फर्द तैयार की जिसमें भी पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 1588 में से होकर गुजरने वाला रास्ता बन्द करना बताया। सरपंच ग्राम पंचायत बावड़ी द्वारा दिनांक 05.10.2002 को मौका रिपोर्ट तैयार की जिसके अनुसार भी वादीगण द्वारा स्टेट हाईवे नम्बर 65 से होकर खसरा नम्बर 1588 में से होकर गुजरने वाले आम रास्ता को वादीगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना दर्शाया। इस प्रकार की तमाम शिकायत

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

मौका व मौका फर्द रिपोर्ट जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है। वादीगण ने ... दर्शाये है, जिससे खसरा नम्बर 1588 में से गुजरने वाले आम रास्ता को ... सके तथा वादीगण ने अपने राजनैतिक एवं भुजबल के वजह से खसरा नम्बर 1588 ... गुजरने वाला आम रास्ता को अवरूद्ध करने की नियत से खसरा नम्बर 1588 के ... तारबन्द कर दी तथा एक वाद श्रीमान सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) जोधपुर के समक्ष ... दिया तथा अब उक्त वाद श्रीमान् न्यायालय हाजा में पेश किया है। वादीगण का उद्धेश्य ... से चलने वाले आम रास्ता को अवरूद्ध करना है। इसी वजह से विभिन्न प्रकार के ... पेश कर दिये है, इसलिए ऐसे मिथ्या आधारहीन वाद पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज ... जावे।

...गण कतई शान्त स्वभाव के व्यक्ति नही है, बल्कि बहुत ही चतुर एवं चालाक है, तथा हल्का ...री के पुत्र है, तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली है एवं जाति विशेष से सम्पन्न है। ...गण ने खसरा नम्बर 1588 में से होकर गुजरने वाले आम रास्ता को मात्र अवरूद्ध करने की ...त से पहले न्यायालय की सिविल जज (व.ख.) जोधपुर में एक वाद पेश किया है जो मात्र ...सरा नम्बर 1588 में से होकर आगे रजलाई नाडी तक जाता है को अवरूद्ध करने की ...नियती पूर्वक ही पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.07.2003 को कतई एक ...य होकर वादीगण के खेत पर नही गये, बल्कि प्रतिवादीगण व आम खातेदारान् खसरा नम्बर ...88 में से होकर चलने वाले आम रास्ता से होकर आते जाते है। लेकिन वादीगण ने ताबरन्दी ...र रास्ता अवरूद्ध कर दिया तथा खेत खसरा नम्बर 1588 में से पीढीयों से विद्यमान आम सार्वजनिक रास्ता के आलामात नष्ट करने की नियत से हल चलाकर फसल की बुवाई कर दी ...वं उक्त मनगड़त कहानी बनाकर वाद पत्र पेश कर दिया फॉर्म नम्बर 03 के साथ दस्तावेज पेश किये गये है।

अन्त में प्रतिवादीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा सम्पूर्ण वाद पत्र आधारहीन एवं मनगड़त कहानी बनाकर मात्र खसरा नम्बर 1588 में से होकर पीढीयों से गुजरने वाले आम रास्ता को अवरूद्ध करने की नियत से पेश किया, जिसके आधार पर वादीगण श्रीमान् न्यायालय हाजा से किसी प्रकार की इस्तदुआ पाने का अधिकारी नही है। वादीगण खसरा नम्बर 1588 में से होकर गुजरने वाले आम रास्ता को उक्त वाद पत्र की आड़ में बन्द नही करे। वादीगण का वाद पत्र मय खर्चा–हर्जा खारिज फरमाया जावे।

उक्त वाद में तनकीयात कायम की गई । जिसमें तनकी संख्या 01 व 02 जिम्मे वादीगण एवं तनकी संख्या 03 जिम्मे प्रतिवादीगण रखी गई। वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी श्री स्वरूपराम

सहायक कलेक्टर एवं
अखण्ड अधिकारी, बावड़ी

...1 पेश किया गया। साक्ष्य शपथ पत्र के साथ दावे के साथ पेश दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2 एवं कमिश्नर मौका फर्द प्रदर्श 3 एक्जिबिट करवाये गये एवं शपथ पत्र ... वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र का पुरजोर समर्थन किया ... साक्ष्य वादी कल्याण चन्द पीडब्ल्यू 2 साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया। एवं वाद पत्र ... समर्थन किया गया। साक्ष्य वादी अमरसिंह पीडब्ल्यू 3 द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया ... एवं वाद पत्र का समर्थन किया गया। वादी लालुराम पीडब्ल्यू 4 साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश ... एवं दावे का समर्थन किया गया। साक्ष्य वादी मेवासराम पीडब्ल्यू 5 साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र ... किया एवं दावे का समर्थन किया गया एवं साक्ष्य दीपाराम पीडब्ल्यू 6 साक्ष्य स्वरूप शपथ ... पेश किया एवं दावे का समर्थन किया। साक्ष्य तेजाराम पीडब्ल्यू 7 साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया ... एवं साथ ही कल्पित बनावटी मौका फर्द दिनांक 05.10.2002 प्रदर्श 4 है एक्जिबिट करवायी एवं दावे का समर्थन किया गया।

...वादीगण की और से साक्ष्य प्रतिवादी गुमानसिंह डी डब्ल्यू 1 साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश ...या गया एवं साथ ही प्रदर्श डी 1 श्रीमती खमाकंवर की जमाबन्दी की सत्य प्रति प्रदर्श डी 2 ...द्रसिंह के खेत की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 3 किशोरसिंह के खेत की जमाबन्दी प्रदर्श डी 4 ...गवानसिंह के खेत की जमाबन्दी प्रदर्श डी 5 गंगासिंह के खेत की जमाबन्दी प्रदर्श डी 6 तईखां ...गैरा के खेत की जमाबन्दी प्रदर्श डी 7 नक्शा पेश, प्रदर्श 8 ग्राम पंचायत बावड़ी की दिनांक ...10.2002 की मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्ष डी 9 पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट, ...दर्श डी 10 फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श डी 11 रजलाई नाडी के खसरा संख्या ...2324 की जमाबन्दी की सत्यप्रति, प्रदर्श डी 12 ग्राम पंचायत बावड़ी द्वारा नरेगा योजना के तहत रजोलाई नाडी की खुदाई बंधाई का कार्य किया जो प्रदर्श डी 13 मद संख्या 26 जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित है। एक्जिबिट करवाये गये। साथ ही साक्ष्य शपथ पत्र में दावे को अस्वीकार किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी हमीद खां डीडब्ल्यू 2 द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किय गया। एवं दावे के तथ्यों को अस्वीकार किया गया। बहस दावा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में हक हिस्से पर प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नही करें व नही नया रास्ता निकालने की चेष्टा करें। वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादीगण अनुपस्थित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात्

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

... वादीगण की बहस पर मनन करने के पश्चात् उक्त तनकीवार निम्नानुसार निर्णित किया जाता है।

... संख्या 01 :– आया वादग्रसत भूमि में वादीगण प्रतिवादीगण की विधि विरूद्ध दखलन्दाजी ... रास्ता निकालने के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

(जिम्मेवादीगण)

... तनकी को साबित करने का भार वादीगण को है। उक्त तनकी के समर्थन में वादीगण ने ... वादी पीडब्ल्यू 1 स्वरूपराम के साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्श 1 ...न्दी, प्रदर्श 2 नक्शा एवं प्रदर्श 3 कमिश्नर मौका फर्द दिनांक 18.01.06 एक्जिबिट करवाये ... एवं शपथ पत्र में स्वरूपराम द्वारा वाद वादीगण के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र का ...र्थन किया गया। इनके अलावा साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 2 कल्याणचन्द, पीडब्ल्यू 3 अमरसिंह, ...ब्ल्यू 4 लालुराम, पीडल्ब्यू 5 मेवासराम, पीडब्ल्यू 6 दीपाराम, पीडब्ल्यू 7 तेजाराम, द्वारा इन ...ी गवाहान् द्वारा वाद वादीगण के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र का समर्थन किया गया। ...के अलावा प्रतिवादीगण का रास्ते का सुखाधिकार को कोई प्रकरण बनता था तो वे ऐसा ...खाधिकार सक्षम न्यायालय से बहाल कराने हेतु स्वतंत्र थे, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा ...खाधिकार का कोई प्रकरण सक्षम न्यायालय में पेश नही किया गया। चूंकि वादीगण उक्त ...दग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। अपनी खातेदारी जमीन की प्रतिवादीगण द्वारा की जाने ...ी दखलन्दांजी को रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। कमिश्नर मौका ...र्द रिपोर्ट में भी मौका कमिश्नर द्वारा 1588 के उत्तर पूर्व में कोई पूर्व में प्रचलित रास्ते को ...अस्वीकार किया है। व प्रतिवादी साक्ष्यो ने इस कमिश्नर रिपोर्ट का खंडन नहीं किया है। ...अतः यह तनकी संख्या 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

...तनकी संख्या 2 :–आया वादीगण को वादकरण दिनांक 20.07.2003 को पैदा हुआ।

(जिम्मे वादीगण)

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को है, चूंकी तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया वादीगण द्वारा सम्पूर्ण वाद आधारहीन एवं मनगड़त कहानी बनाकर प्रतिवादीगण का पीढीयों से चल रहे खेत खसरा नम्बर 1588 में से उत्तर पूर्वी दिशा आम रास्ता को अवरूद्ध करने की नियत से पेश किया गया है। वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

...तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के ...में कोई ठोस लिखित या मौखिक साक्ष्य पेश नही किया गया है। जिससे की खसरा ...1588 में से उत्तर पूर्वी दिशा में आम रास्ता को अवरूद्ध करने की नियत से वादीगण द्वारा ...वाद पत्र पेश किया हो, साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 गुमानसिंह एवं डीडब्ल्यू 2 हमीदखां के ...स्वरूप शपथ पत्र किये गये। लेकिन इन गवाहान् द्वारा खसरा नम्बर 1588 में से उत्तर ...पूर्वी दिशा में आम रास्ता चलने बाबत कोई ठोस बात नही बताई गई। न ही कोई दस्तावेज ...किया गया। चूंकि तनकी संख्या 1 में सम्पूर्ण विवेचन हो चुका है। तनकी संख्या 1 व 2 ...वादीगण के पक्ष में साबित निर्णित हो चुकी है। साथ ही मौका फर्द रिपोर्ट एक्टिबिट 3 थी इस ...तनकी के विरूद्ध है अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्त वाद में तनकी संख्या 1 से 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित हुई है। ...वली के अवलोकन एवं अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन करने एवं सम्पूर्ण वाद के ...वेचन उपरान्त वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम ...बावड़ी के खेत खसरा नम्बर 1588 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर वाद पत्र के पद संख्या 2 ...में विस्तृत पड़ौसियान् के रूप में बताये गये वादीगण के भौतिक रूप से कब्जे काश्त पर बहक ...वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ...प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य ऐजेन्ट से ...करावें। न ही वादीगण के उक्त खसरा नम्बर 1588 के किसी भी भाग कार्नर पर अतिक्रमण करे ...न ही नया रास्ता निकालने की चेष्ठा करें। साथ ही सुखाचार के तहत कोई प्रकरण बनता है तो ...ऐसा सुखाधिकार सक्षम न्यायालय से बहाल कराने हेतु स्वतन्त्र है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कंचन राठौड़ आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कंचन राठौड़ आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं